संजीत कुमार सिंह @मुन्ना कुमार सिंह

वी.

छत्तीसगढ़ राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 871)

30 अगस्त, 2022

[इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 -

एसएस। 20 (ख) (ii) (ग), 54 अनुमान यू / धारा 54-अपीलार्थी समवर्ती रूप से यू/दोषी ठहराए गए धारा 20 (ख) (ii) (ग) और पी. डब्ल्यू.-7-डी. एस. पी. (जिन्होंने सूचना देने वाले और आई. ओ. दोनों के रूप में काम किया) की गवाही के आधार पर सजा सुनाई गई-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः आई. ओ. ने पी. डब्ल्यू.-7 के रूप में जांच की और दावा किया कि उसने सब कुछ केवल स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया है लेकिन वे

स्वतंत्र गवाहों ने न केवल अपनी उपस्थिति और भागीदारी से इनकार किया, बल्कि इस बात का भी स्पष्टीकरण दिया कि उनके हस्ताक्षर दस्तावेजों में कैसे पाए गए-इस प्रकार, पीडब्लू-7 द्वारा कथित रूप से की गई खोज और जब्ती पर एक गंभीर संदेह पैदा होता है-यह सच है कि एस। 54 एक धारणा को बढ़ाता है और बोझ बदल जाता है

अभियुक्त को यह समझाने के लिए कि वह कैसे कब्जे में आया

निषिद्ध-लेकिन धारणा को बढ़ाने के लिए यू / एस. 54 सबसे पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त से वसूली की गई थी-जिस क्षण सबसे बुनियादी पहलू पर संदेह किया जाता है, तलाशी और जब्ती, अपीलार्थी भी उसी लाभ का हकदार होगा जो विशेष न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त-अपीलार्थी को दिया गया था-संदेह का लाभ पाने का भी हकदार-विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को दरकिनार कर दिया गया।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985-साक्ष्य पुलिस गवाह, स्वतंत्र गवाह-आयोजितः यह है।

हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि पुलिस गवाहों के साक्ष्य की स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। इसके अलावा, स्वतंत्र गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने के परिणामस्वरूप आरोपी को बरी करने की आवश्यकता नहीं है, जब अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है और अन्य पुलिस गवाह एक स्वर में बोलते हैं-लेकिन अगर अदालत को स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुलिस गवाहों की गवाही की पुष्टि की कमी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना पड़ता है और स्वतंत्र गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने पर नेल्सन की नज़र डालनी पड़ती है, तो अभियोजन पक्ष की कहानी बहुत विश्वसनीय होनी चाहिए और स्वतंत्र गवाहों की गवाही बहुत विश्वसनीय होनी चाहिए।

166 संजीत कुमार सिंह @मुन्ना कुमार सिंह बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

आधिकारिक गवाह विशेष रूप से भरोसेमंद-यदि स्वतंत्र गवाह एक ऐसी कहानी के साथ आते हैं जो अभियोजन पक्ष के सिद्धांत में, खोज और जब्ती के बारे में एक अंतर पैदा करती है, तो अभियोजन पक्ष का मामला ध्वस्त हो जाना चाहिए-एक बार जब अभियोजन पक्ष एक कहानी के साथ सामने आता है कि तलाशी और जब्ती स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की गई थी और वे उनकी जांच करने का भी विकल्प चुनते हैं

न्यायालय के समक्ष, तब न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या शत्रुतापूर्ण हो गए स्वतंत्र गवाहों का बयान अविश्वसनीय है और क्या इस बात की संभावना है कि वे दलबदलू बन गए हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 कानून के कुछ प्रस्ताव जिन पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। वे हैं (i) के निर्णय के अनुसार

मुकेश सिंह के मामले में इस अदालत की संविधान पीठ ने कहा कि यह तथ्य कि सूचना देने वाला भी जांचकर्ता था, अपने आप में जांच को अनुचित या पक्षपातपूर्ण नहीं मान सकता है; (ii) यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि पुलिस गवाहों के साक्ष्य के पास गलत जानकारी हो।

स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि की जाए, जैसा कि में अभिनिर्धारित किया गया है

धर्मपाल सिंह और मुकेश सिंह; (iii) कि स्वतंत्र गवाहों को शत्रुतापूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है

अभियुक्त को बरी करना, जब अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है और अन्य पुलिस गवाह एक स्वर में बोलते हैं जैसा कि रिज़वान खान में माना गया है; और (iv) एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि अभियुक्त के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था,

स्वतंत्र गवाहों की हमेशा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक बार जब अभियोजन पक्ष एक कहानी के साथ सामने आता है कि तलाशी और जब्ती स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था और वे अदालत के समक्ष उनकी जांच करने का भी विकल्प चुनते हैं, फिर अदालत को यह देखना होगा कि क्या स्वतंत्र गवाहों का संस्करण जो [2022] 11 एस. सी. आर.

शत्रुतापूर्ण होना अविश्वसनीय है और क्या कोई संभावना है

कि वे दलबदलू बन गए हैं। [पारस 17,18] [174-जी; 175-ए ई]

मुकेश सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली की मादक पदार्थ शाखा) (2020) 10 एस. सी. सी. 120 [2020] 9 एस. सी. आर. 245; धर्मपाल सिंह बनाम।

पंजाब राज्य (2010) 9 एससीसी 608: [2010] 10 एस. सी. आर. 1160; रिज़वान खान बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2020) 9 एस. सी. सी. 627: [2020] 7 एस. सी. आर. 546-पर निर्भर।

1.2 स्वतंत्र गवाह (सी. डब्ल्यू. 1 और 2) जो मुकर गए, उन्होंने न केवल कुछ भी देखने से इनकार किया, बल्कि एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण भी दिया कि पीडब्लू-7 द्वारा उल्लिखित दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षर कैसे पाए गए। दोनों स्वतंत्र गवाहों के अनुसार वे सिंधी समुदाय के सदस्यों से संबंधित किसी अन्य विवाद के संबंध में पुलिस स्टेशन गए थे। इन 2 गवाहों ने स्थानीय पंचायत के निर्वाचित परामर्शदाता होने का दावा किया और इस दावे को अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा जिरह में चुनौती नहीं दी गई थी।

इसलिए, हाथ में मामला एक नियमित, भाग-दौड़ का मामला नहीं है जिसमें स्वतंत्र गवाहों को जीत लिया जाता है और उनके पास कोई नहीं था

पंचनाम में उनके हस्ताक्षर के बारे में स्पष्टीकरण देना। अगर

पीडब्लू-7 द्वारा दी गई कहानी पर विश्वास किया जाना चाहिए, (i) उन्हें लगभग 16 साल की उम्र में जानकारी मिलीः 50 घंटे। ; ((ii) उन्होंने औपचारिकताएं पूरी कीं और 17 साल की उम्र में स्वतंत्र गवाहों को नोटिस भेजेः 10 घंटे। ; (iii) उन्होंने 17 साल की उम्र में पुलिस स्टेशन छोड़ दियाः 10 घंटे। , और 5-7 मिनट में घटना स्थल पर पहुँच गया; और (iv) उसकी टीम ने आरोपी के आने के लिए घटना स्थल पर 40 मिनट तक इंतजार किया। लेकिन उक्त समयसीमा में, पीडब्लू-7 उस समय के बारे में पूरी तरह से चुप है जब गवाह पुलिस स्टेशन या घटना स्थल पर पहुंचे थे। [पारस 25,27] [180-जी-एच; 181-जी-एच; 182-ए]

1.3 इसके अलावा, आई. ओ. ने पीडब्लू-7 के रूप में जांच की और दावा किया कि उसने सब कुछ केवल स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया है। लेकिन उन स्वतंत्र गवाहों ने न केवल अपनी उपस्थिति से इनकार किया

और भागीदारी लेकिन यह भी एक स्पष्टीकरण के साथ आया कि उन दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षरों को कैसे जगह मिली। ऐसी परिस्थितियों में, पीडब्लू-7 द्वारा कथित रूप से की गई तलाशी और जब्ती पर गंभीर संदेह पैदा होता है। लेकिन दुर्भाग्य से, विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने सिद्धांत रूप में कानून का पालन किया, मामले के तथ्यों पर इसे लागू किए बिना।

ठीक संजीत कुमार सिंह @मुन्ना कुमार सिंह बनाम से। छत्तीसगढ़ राज्य

शुरुआत में, सह-अभियुक्त (ए-2) को हर स्तर पर फंसाया गया था।

मान लीजिए, पीडब्लू-7 द्वारा 16 बजे प्राप्त जानकारीः 50 घंटे। आई. डी. 1 पर अपीलार्थी के साथ-साथ सह-अभियुक्त का भी संदर्भ था। लेकिन किसी अजीब कारण से, पीडब्लू-7 ने केवल अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस देने का विकल्प चुना, न कि

सह-अभियुक्त पर। पीडब्लू-7 ने भी जानबूझकर या अन्यथा रिकॉर्ड करने के लिए छोड़ दिया, (i) सह-अभियुक्त की सहमति पंचनामा; (ii) सह-अभियुक्त की खोज पंचनामा; और (iii) वसूली।

सह-अभियुक्त के संबंध में पंचनामा। इसके परिणामस्वरूप विशेष अदालत ने सह-अभियुक्त को बरी कर दिया। यह बहुत अजीब बात है कि (i) पीडब्लू-7 द्वारा प्राप्त जानकारी, (ii) एफ. आई. आर. और (iii) आरोप पत्र में सह-अभियुक्त को फंसाया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने विशेष अदालत के इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया कि सह-अभियुक्त से कोई वसूली नहीं हो सकती थी, इस तथ्य के बावजूद कि वह भी सह-अभियुक्त थी।

एक ही गाड़ी में यात्रा करते हुए। [पारस 31-33] [182-E-H; 183-A-B]

1.4 यह सच है कि अधिनियम की धारा 54 एक धारणा उठाती है

और आरोपी पर यह समझाने का बोझ पड़ता है कि वह प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे में कैसे आया। लेकिन अधिनियम की धारा 54 के तहत धारणा को उठाने के लिए, पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त से वसूली की गई थी। जिस क्षण सबसे बुनियादी पहलू, अर्थात् तलाशी और जब्ती पर संदेह किया जाता है, अपीलार्थी भी उसी लाभ का हकदार होगा जो विशेष न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त को दिया गया है। अपीलार्थी संदेह के लाभ का भी हकदार है। द.

विशेष न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निर्णय जहाँ तक अपीलार्थी की दोषसिद्धि से संबंधित हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि वह किसी अन्य मामले के संबंध में हिरासत में न हो। [पारस 33 ए, 34] [183 ए-डी]

अजमेर सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2010) 3 एससीसी 746:

[2010] 2 एससीआर 785; मोहिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य

(2018) 11 एस. सी. सी. 570; पंजाब राज्य बनाम। बलजिंदर सिंह

और ओआरएस। (2019) 10 एससीसी 473: [2019] 13 एससीआर 520

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 2 एससीआर 785

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2018) 11 एस. सी. सी. 570

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2020] 9 एससीआर 245

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[2010] 10 एससीआर 1160

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[2020] 7 एससीआर 546

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[2019] 13 एससीआर 520

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

871 2021 से।

उच्च न्यायालय के 01.10.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की आपराधिक अपील सं. 790 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा।

सोमनाथ पधन, आभास परिमल, अशोक आनंद, राकेश कुमार।

सिंह, आकाश काकड़े, मुकुल देव मिश्रा, सुश्री सुजाता कुमारी मुनि, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सौरव रॉय, डी. ए. जी., महेश कुमार, प्रभु सिंह, जाकिर हुसैन,

सुश्री देविका खन्ना, वी. एम. जेड. चैम्बर्स की श्रीमती वी. डी. खन्ना, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देना

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (इसके बाद 'एक्ट' के रूप में संदर्भित) की धारा 20 (बी) (ii) (सी) और विशेष अदालत द्वारा उस पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल के कठोर कारावास की सजा और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई।

छत्तीसगढ़ के अभियुक्त नं. 1 ने उपरोक्त अपील की है।

2. हमने श्री सोमनाथ पाधन को सुना है, जो इसके विद्वान वकील हैं।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी राज्य के लिए उप महाधिवक्ता श्री सौरव रॉय।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 31.05.2014 पर, स्टेशन

चकरभाटा पुलिस स्टेशन के हाउस ऑफिसर (संक्षिप्त में एस. एच. ओ.) को एक गुप्त सूचना मिली कि अपीलार्थी और उसकी दोस्त रीना दास, पंजीकरण संख्या वाली कार की डिक्की में गांजा ले जा रहे थे। सी. जी.-04 एच. ए. 4850 और रायपुर से पेंड्रा रोड की यात्रा कर रहे थे; कि एस. एच. ओ. ने यह जानकारी रोजनामचा सांहा में दर्ज की, मुखबीर को तैयार किया।

सुचाना ने उक्त जानकारी को उच्च अधिकारी को अग्रेषित किया, मौके पर आगे बढ़े, कार को रोका, अधिनियम की धारा 50, संजीत कुमार सिंह @मुन्ना कुमार सिंह बनाम के तहत नोटिस दिया।

छत्तीसगढ़ राज्य [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

एक खोज की और 47.370 किलोग्राम पाया। गाड़ी की डिक्की में तीन थैलों में रखे गांजे का; कि प्रतिबंधित पदार्थ का वजन करने और पंचनामा तैयार करने के बाद, एस. एच. ओ. ने तीन थैलों में से प्रत्येक से नमूने एकत्र किए, उन्हें फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ. एस. एल.) भेजा और रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, अपीलार्थी के साथ-साथ उसकी दोस्त रीना दास के खिलाफ धारा 20 (बी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया।

अधिनियम से।

4. अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों से पूछताछ की। अदालत के गवाह सी. डब्ल्यू. 1 और 2 के रूप में दो स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ की गई। 5. दिनांक 1 के एक निर्णय द्वारा, विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हालांकि,

सह-अभियुक्त रीना दास को विशेष अदालत ने बरी कर दिया।

6. राज्य ने ए-2 रीना दास को बरी करने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की। लेकिन अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की फाइल पर अपील दायर की। अपील को 01.10.2019 दिनांकित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए, ए-1, जिसे समवर्ती दोषसिद्धि का सामना करना पड़ा है, उपरोक्त अपील के साथ आया है।

7. विशेष न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपीलार्थी अपराध का दोषी था, श्री की गवाही पर व्यापक रूप से भरोसा किया।

एन. एल. ध्रितलहरे, पुलिस उपाधीक्षक, जिन्होंने सूचना देने वाले और जांच अधिकारी (संक्षेप में आई. ओ.) दोनों के रूप में कार्य किया और जिसकी जांच पीडब्लू-7 के रूप में की गई थी। विशेष न्यायालय ने पाया कि पीडब्लू-7 ने अधिनियम की धारा 43 और 49 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था और उनकी गवाही अडिग रही।

8. हालांकि पीडब्लू-7 ने दावा किया कि तलाशी और जब्ती दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की गई थी, जिनसे पूछताछ की गई थी।

सी. डब्ल्यू.-1 और सी. डब्ल्यू.-2, इन दो गवाहों ने पूरे ऑपरेशन के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया। इसलिए, विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीडब्लू-7 की गवाही स्वतंत्र गवाहों के साक्ष्य से पुष्ट नहीं हुई थी। 9. तथापि, विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पीडब्लू-7 द्वारा की गई प्रविष्टियाँ और तलाशी और जब्ती से पहले और बाद में उसके द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़, उसकी मौखिक गवाही की पुष्टि करते हैं और इसलिए अपीलार्थी का अपराध बिना पुष्टि के भी उचित संदेह से परे स्थापित हो गया।

2] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि विशेष अदालत ने ए-2 अर्थात् रीना दास को इस आधार पर बरी कर दिया कि (i) हालांकि प्रदर्शनी पी-12 के दैनिक रजिस्टर में

और सूचना ज्ञापन, ए-2 के नाम का उल्लेख किया गया था, पीडब्लू-7 ने अपनी गवाही में उसके नाम का उल्लेख नहीं किया था; (ii) कि धारा 50 के तहत नोटिस ए-2 पर नहीं दिया गया था; और (iii) यह दिखाने के लिए कोई संदेह से परे सबूत नहीं था कि जब्त की गई निषिद्ध वस्तु ए-2 के तहत थी।

ए-2 का अधिकार और ज्ञान।

11. जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, राज्य ने ए-2 के बरी होने के खिलाफ अपील दायर नहीं की थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने माना कि पी. डब्ल्यू.-7 का साक्ष्य जिरह के दौरान भी अडिग रहा और उनके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने पीडब्लू 3 और 4 के रूप में जांच की और अधिनियम की धारा 42 और 57 की आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में पीडब्लू-7 के बयान की पुष्टि की। हालांकि एक तर्क

अपीलार्थी की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था कि एफएसएल को भेजे गए नमूने जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का हिस्सा नहीं थे, इसे उच्च न्यायालय द्वारा पीडब्लू 7 की ठोस गवाही के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इस तरह उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि के साथ-साथ उस पर लगाई गई सजा की पुष्टि की। 12. विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निर्णयों का उल्लेख करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि (i) सूचना देने वाला और आई. ओ. एक ही व्यक्ति थे; (ii)

कि सी. डब्ल्यू.-1 और सी. डब्ल्यू.-2 नामक स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, जिससे पी. डब्ल्यू.-7 की गवाही अप्रमाणित हो गई; (3) जब अपीलार्थी और सह-अभियुक्त पर आरोप पत्र में उसी कार में यात्रा करने का आरोप लगाया गया था जिससे गांजा जब्त किया गया था, तो उनमें से एक को बरी कर दिया गया और अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।

अन्य, पीडब्लू-7 की उसी गवाही के आधार पर नहीं हो सकता है

और (iv) कि इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला में निर्धारित सिद्धांतों का विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पालन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने विशेष रूप से अजमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1 और मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2 में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया।

अपीलार्थी के वकील ने निम्नलिखित तर्क उठाए: 1 (2010) 3 एस. सी. सी. 746

■ उसके साक्ष्य में कई चूक हैं;

■ उन्होंने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उन पर आरोप पत्र भी दायर किया, लेकिन स्वीकार किया कि कोई तलाशी वारंट नहीं था। ■ उन्होंने आगे कहा कि वाहन की तस्वीर अंतिम रिपोर्ट की सूची में नहीं थी और तस्वीर में अपराध संख्या का उल्लेख नहीं था

गाड़ी का;

■ वह सी. डब्ल्यू. यानी स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति के बारे में चुप थे और उन स्वतंत्र गवाहों ने अज्ञानता का अनुरोध किया;

■ यहां तक कि संपत्ति जब्त करने के ज्ञापन पर भी आरोपी और गवाहों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और कोई मुहर नहीं लगाई गई थी। यह भी उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है;

■ रीना दास (ए-2) को यू/एस 50 एनडीपीएस अधिनियम का कोई नोटिस नहीं भेजा गया था। एफ. आई. आर. और आरोप पत्र को छोड़कर रीना दास का नाम नहीं था। कहीं भी उल्लिखित अर्थात सहमति पत्र, सहमति ज्ञापन, खोज का ज्ञापन, जब्त/वर्जित पदार्थ की बरामदगी का ज्ञापन, सामग्री की पहचान का ज्ञापन, तौल मशीन के भौतिक सत्यापन का ज्ञापन, वर्जित पदार्थ के वजन का ज्ञापन, मादक पदार्थ के वजन के नमूने का ज्ञापन आदि। ;

■ लेकिन उन्होंने प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इनकार किया कि महिला वाहन में नहीं बैठी थी; और

■ उल्लिखित समय दस्तावेज़ से दस्तावेज़ में भिन्न होता है।

14. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कार के स्वामित्व के बारे में भी एक मुद्दा उठाया और इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि मालिक, भूमिका पटेल (पीडब्लू-4) से पूछताछ भी नहीं की गई थी। लेकिन हमें नहीं लगता कि कार के स्वामित्व का कोई भौतिक महत्व था।

इसलिए, हम इसके बारे में विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं।

15. अपीलार्थी की ओर से उठाए गए तर्कों के जवाब में, राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया थाः

■ कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है;

■ कि एक बार जब धारा 42,43,49 और 50 में उल्लिखित प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया जाता है, तो यह उस अभियुक्त के लिए था, जिससे

पदार्थ को जब्त कर लिया गया है, यह समझाने के लिए कि वह कब्जे में कैसे आया; [2022] 11 एस. सी. आर.

■ यह कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली की मादक पदार्थ शाखा) 3 में अभिनिर्धारित किया गया है, स्वतंत्र गवाहों की गवाही के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की गवाही की पुष्टि करना हमेशा आवश्यक नहीं है;

■ यह कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 में अभिनिर्धारित किया गया है, स्वतंत्र गवाह की कमी मामले के लिए घातक नहीं है।

प्रतिकूल, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत बरी होने का आधार नहीं हो सकता है; ■ कि अधिनियम की धारा 50 के तहत सुरक्षा केवल किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी के लिए उपलब्ध है न कि वाहन की तलाशी के लिए।

या स्थान, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम हरजिंदर सिंह और Ors.6 में अभिनिर्धारित किया गया है;

■ कि चूंकि इस मामले में बूट से वसूली की गई थी

कार, धारा 50 का कोई आवेदन नहीं था और इसलिए सह अभियुक्त को बरी करने का भी कोई परिणाम नहीं था;

यह प्रश्न कि क्या सूचना देने वाला आई. ओ. हो सकता है, अब मुकेश सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए एकीकृत नहीं है।

■ कि एक बार जब धारा 54 के तहत कब्जा साबित हो जाता है, तो आरोपी को अपराध का दोषी माना जाता है।

अधिनियम की धारा 54; और ■ कि इसलिए नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमने विशेष न्यायालय के अभिलेखों का भी अध्ययन किया है, जिसमें उनकी गवाही भी शामिल है।

गवाह।

17. शुरुआत में हम कानून के कुछ प्रस्तावों पर ध्यान देंगे जिन पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। वे हैं, (i) के अनुसार

मुकेश सिंह (ऊपर) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय, यह तथ्य कि सूचना देने वाला भी जांचकर्ता था, हो सकता है कि न हो।

स्वयं जांच को अनुचित या पक्षपातपूर्ण बताते हुए दूषित करते हैं; (ii) ऐसा नहीं है कि

3 (2020) 10 एस. सी. सी. 120 4 (2010) 9 एस. सी. सी. 608 5 (2020) 9 एस. सी. सी. 627 6 (2019) 10 एस. सी. सी. 473 संजीत कुमार सिंह @मुन्ना कुमार सिंह बनाम।

हमेशा आवश्यक है कि पुलिस गवाहों का साक्ष्य होना चाहिए

स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि की गई, जैसा कि धर्मपाल सिंह और मुकेश सिंह (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है; (iii) कि अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने और अन्य पुलिस गवाहों द्वारा रिजवान खान (उपरोक्त) में एक स्वर में बोलने पर, शत्रुतापूर्ण होने वाले स्वतंत्र गवाहों को अनिवार्य रूप से अभियुक्त को बरी करने की आवश्यकता नहीं है; और (iv) एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि अभियुक्त से वर्जित पदार्थ बरामद किया गया था। कब्जा, धारा 54 के तहत एक धारणा उत्पन्न होती है।

18. लेकिन अगर अदालत ने-(i) स्वतंत्र रूप से पुलिस गवाहों की गवाही की पुष्टि की कमी की पूरी तरह से अवहेलना की है।

स्वतंत्र गवाह एक कहानी के साथ आते हैं जो अभियोजन पक्ष के सिद्धांत में एक अंतर पैदा करता है, बहुत खोज और जब्ती के बारे में, तो अभियोजन पक्ष का मामला ताश के पत्तों की तरह गिर जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि हमेशा आवश्यक नहीं होती है। लेकिन एक बार जब अभियोजन पक्ष एक कहानी के साथ सामने आता है कि तलाशी और जब्ती स्वतंत्र की उपस्थिति में की गई थी गवाह और वे अदालत के समक्ष उनकी जांच करने का भी विकल्प चुनते हैं, फिर अदालत को यह देखना होता है कि क्या शत्रुतापूर्ण होने वाले स्वतंत्र गवाहों का बयान अविश्वसनीय है और क्या इस बात की संभावना है कि वे दलबदलू बन गए हैं।

19. आइए हम मामले में देखें कि पीडब्लू-7 ने गवाहों को शामिल करने के तरीके के बारे में क्या कहा था। का प्रासंगिक भाग

पीडब्लू-7 की गवाही (मुख्य परीक्षा), जिसमें स्वतंत्र गवाहों के लिए एक संदर्भ दिया जाता है, निम्नानुसार निकाला जाता हैः

" (5) मुझे 31.05.2014 पर 16.50 घंटे पर जानकारी मिली। से

सूचना देने वाले ने बताया कि एक चांदी के रंग की हुंडई वर्ना कार का पंजीकरण संख्या। सी. जी.-04-एच. ए.-4850 रजत है, जिसमें कबीर निवासी संजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह हैं। नागर, रायपुर और उसकी महिला मित्र रीना दास उर्फ मनाली दास निवासी कबीर नगर, रायपुर, कार के ट्रक (डिक्की) में भारी मात्रा में गांजा लेकर रायपुर से पेंड्रा रोड की ओर रवाना हुए हैं।

बिक्री, जो पंडिडिहा बाईपास रोड से होकर जाएगा। मैं उपरोक्त रिपोर्ट क्रम संख्या में दर्ज करता हूं। 1283 पुलिस स्टेशन में रखे गए स्टेशन डायरी रजिस्टर का। आज मैं दैनिक [2022] 11 एस. सी. आर. लाया हूँ।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

मेरे साथ पंजीकरण करें। दैनिक रजिस्टर में दर्ज क्रम संख्या 1283 प्रदर्शनी पी-12 है और इसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्शनी पी 12 "सी हैः मैंने गवाहों विरेंद्र कुमार की उपस्थिति में सूचना देने वाले की जानकारी का ज्ञापन (पंचनामा) तैयार किया।

साहू और बलदेव सिंह राजपूत। सूचना देने वाले की जानकारी का ज्ञापन (पंचनामा) प्रदर्शनी पी-13 है और ए से ए भागों पर मेरे हस्ताक्षर थे। मैंने गवाहों को बुलाने के उद्देश्य से नोटिस दिया। नोटिस दिया गया है

गवाह सुनील मालधानी को जो कि प्रदर्शनी सी-14 है, जहाँ बी से बी भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं और गवाह फिर्तुराम बनवारे को उपस्थित होने के लिए भेजा गया नोटिस /

कार्यवाही के समय प्रस्तुत करना प्रदर्शनी सी-1 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर बी से बी भागों पर हैं।

XXX

XXX

XXX

मालधानी और फिर्तुराम बंजारे, जो सी-2 प्रदर्शित करते हैं और जिस पर सी से सी भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पंजीकरण संख्या वाली कार के डिक्की से तीन प्लास्टिक के थैलों में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था। सी. जी.-04 एच. ए.-4850 संजीत कुमार सिंह के कब्जे में, जब्ती एक्स. एच. सी. 5 है जहाँ मेरे हस्ताक्षर डी से डी भाग पर हैं। जब मैं सुनील मालधनी फिर्तुराम बनवाने की उपस्थिति में कार की डिक्की में टांके खोलकर रखे बैग देखता हूं।

उनकी प्रतिपरीक्षा, पीडब्लू-7 में इस प्रकार कहा गया हैः

ई. टी. कुमार सिंह @मुन्ना कुमार सिंह वी. छत्तीसगढ़ के [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

दोनों गवाह चकरभाटा के हैं। मैं पहले से जानता हूँ दोनों गवाहों को। मैंने दोनों गवाहों को नोटिस भेजे हैं।

उनके नाम पर। यह कहना सही है कि मुझे आज याद नहीं है।

कि जिनके माध्यम से उपरोक्त सूचना भेजी गई थी। यह भी है

यह कहना सही है कि मैंने उपरोक्त सूचना 17.10 पर भेजी थी

एच. आर. मुझे याद नहीं है कि किस समय, उपरोक्त गवाह

पुलिस स्टेशन में।

XXX

XXX

XXX

गवाहों के घर नामतः सुनील मालधानी और फिरतुराम

से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है

घटनास्थल से पुलिस स्टेशन लौटने के बाद घटना की घटना।

XXX

XXX

XXX

मैं गवाहों द्वारा पहचाने गए निषिद्ध पदार्थों को प्राप्त करता हूं। यह कहना सही है कि मैंने उस निषिद्ध पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है

ज्ञापन में गवाहों द्वारा पहचाने गए पदार्थ

पहचान प्रदर्शनी सी-7।

XXX

XXX

XXX

यह कहना भी गलत है कि गवाह ऐसा करते थे

सुनील मालधानी और फिरतू बनवारे पुलिस के पास गए थे। उनके अपने कुछ विवाद के संबंध में स्टेशन। यह भी है

यह कहना गलत है कि मुझे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर मिलते हैं पुलिस स्टेशन में दोनों गवाहों से ऊपर।

यह देखने के बाद कि पीडब्लू-7 ने उपस्थिति के बारे में क्या कहाटी गवाहों, आइए अब देखें कि ये स्वतंत्र गवाह क्या हैं

श्री फिरुतुराम की गवाही का प्रासंगिक भाग

सी. डब्ल्यू.-1 के रूप में निम्नानुसार लिखा गया हैः

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

या किसी अन्य समय, मुझे कभी पुलिस-स्टेशन में नहीं बुलाया गया, मैं कभी भी पुलिस के साथ पास रोड से पंदिडीह नहीं गया। पुलिस मैंने अपनी मौजूदगी में कभी कोई गाड़ी नहीं रोकी, मैंने वह नहीं देखा था

यहाँ अदालत में मौजूद आरोपी व्यक्ति किसी भी कार में बैठे थे, पुलिस ने मेरी उपस्थिति में कभी भी किसी भी कार से कोई गांजा जब्त नहीं किया। पुलिस ने मेरी उपस्थिति में गांजे की कोई सुनवाई या नमूना लेने की कोई कार्यवाही नहीं की। वर्ष 2014 में मैं कुछ सिंधियों के बीच विवाद के संबंध में पुलिस स्टेशन चकरभाटा गया था और उस समय पुलिस ने कुछ दस्तावेजों पर मेरे हस्ताक्षर लिए थे। मैंने यह नहीं पढ़ा कि वे दस्तावेज किस संबंध में थे और मुझे दस्तावेजों की सामग्री के बारे में भी नहीं बताया गया था क्योंकि उस समय कोई दस्तावेज नहीं किया गया था। प्रदर्शनी सी. 1, सी. 2, सी. 3, सी. 4, सी. 5, सी. 6, सी. 7, सी. 8, सी. 9, सी. 10 जो तीन पृष्ठों में है, सी. 11, सी. 12, सी. 13 के भाग ए से ए में मेरे हस्ताक्षर हैं। एक्स. पी./9 के भाग बी से बी में मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मुझे नहीं लिया

बयान।

// अभियोजन के लिए लोक अभियोजक श्री कुंदन सिंह द्वारा प्रतिपरीक्षा

मैंने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। यह कहना सही है कि मैं काउंसलर होने के नाते पुलिस की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इससे पहले मैं पाँच साल तक दो बार नगर पंचायत बोदरी का काउंसलर था। यह कहना सही है कि काउंसलर होने के नाते मुझे जब भी बुलाया जाता है तो मुझे पुलिस के पास जाना पड़ता है। यह कहना सही है कि अपराध की जांच के दौरान जन प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, गवाह खुद कहता है कि एक बार उसे बुलाया गया था। यह कहना गलत है कि 31.05.2014 पर लगभग 17.00 घंटों पर मुझे पुलिस-स्टेशन में बुलाया गया था, गवाह खुद कहता है कि क्योंकि सिंधियों के बीच विवाद था इसलिए वह वहाँ गया था।

पुलिस-स्टेशन। यह कहना सही है कि उस दिन सुनील मगलानी भी मेरे साथ वहाँ गए थे।

यह कहना सही है कि ई. टी. कुमार सिंह @मुन्ना कुमार सिंह बनाम। छत्तीसगढ़ के [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

यह कहने पर कि किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए बिना पढ़े।

XXX

XXX

XXX

7. यह कहना गलत है कि वजन पंचनामा था मेरी उपस्थिति में किया गया। यह कहना गलत है कि गांजा

अभियुक्त से बरामद किया गया मेरी उपस्थिति में तौला गया और

370 एक थैले में ग्राम, दूसरे थैले में 20 किलोग्राम और 07 तीसरे थैले में किलोग्राम पाया गया।

श्री सुनील कुमार के साक्ष्य का प्रासंगिक हिस्सा

सी. डब्ल्यू.-2 के रूप में xamine निम्नानुसार हैः

वर्ष 2014 में मैं वार्ड संख्या 7 का काउंसलर था। बोदरी नगर पंचायत। ढाई साल पहले मैं और

फिर्तुराम बनवारे पुलिस थाना चकरभाटा गए। हम.

हमारे बीच विवाद के लिए समझौता करने के लिए वहाँ गया था

लोग। पुलिस ने 4-5 दस्तावेजों पर हमारे हस्ताक्षर लिए। नहीं। पुलिस ने मेरी उपस्थिति में कार्यवाही की। पुलिस

मुझमें अभियुक्त व्यक्तियों से कोई लेख नहीं पकड़ा गया

उपस्थिति। पुलिस ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। Cr.P.C की धारा 160 के तहत नोटिस का भाग ए से ए।

एक्स. पी./14 पर मेरे हस्ताक्षर हैं। सी. 2 का भाग बी से बी, सी. 3, सी. 4,

सी. 5, सी. 6, सी. 7, सी. 8, सी. 9, सी. 10, सी. 11, सी. 12, सी. 13 पर मेरा प्रभाव है।

हस्ताक्षर करें।

// श्री कुंदन सिंह, पब्लिक द्वारा प्रतिपरीक्षा

अभियोजन के लिए अभियोजक//

यह कहना सही है कि मैं और फिर्तुराम बनवारे गए थे

पुलिस-स्टेशन चकरभाटा शाम को 5 बजे

31.05.2014 . यह कहना गलत है कि नोटिस दिया गया था

यह कहना गलत है कि कार का नंबर C.G.04 एच. ए. 4850 है। जो आरोपी संजीत कुमार के कब्जे में था

रुका और खोजा और उस समय पीछे की ओर बनाया

कार साइकोट्रोपिक गांजे की डिक्की तीन [2022] 11 एस. सी. आर. के अंदर पाई गई थी।

सफेद रंग के प्लास्टिक के थैले और इसका पंचनामा किया गया था

मेरी उपस्थिति "।

23. अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा सी. डब्ल्यू. 1 और 2 की प्रतिपरीक्षा की गई। इन दोनों गवाहों को एक सुझाव दिया गया था कि आरोपी व्यक्तियों के परिवार ने उनसे मुलाकात की और वे प्रभावित हुए। इस संबंध में सी. डब्ल्यू.-1 ने लोक अभियोजक के सुझाव को निम्नलिखित शब्दों में अस्वीकार कर दियाः

" 10. यह कहना गलत है कि आरोपी व्यक्तियों का परिवार मुझसे मिला था और क्योंकि उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया था और उस लालच में मैं गलत बयान दे रहा हूं। गवाह स्वयं कहता है कि वह अभियुक्त व्यक्तियों के परिवार को नहीं जानता है। यह कहना गलत है कि आज आरोपी व्यक्तियों का परिवार अदालत में आया और मुझसे मिला।

24. इसी तरह, सी. डब्ल्यू.-2 ने लोक अभियोजक के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि वह अभियुक्त के परिवार के सदस्यों के प्रभाव में आया था।

प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" 4. यह कहना गलत है कि आरोपी व्यक्तियों का परिवार मुझसे मिला था। यह कहना भी गलत है कि आज मैं गलत बयान दे रहा हूं।

मान लीजिए कि दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे पढ़ना चाहिए। यह कहना गलत है कि कार्यवाही मेरी उपस्थिति में हुई और इसके लिए जिस कारण से मैंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।

// श्री कुंदन सिंह, पब्लिक द्वारा प्रतिपरीक्षा

अभियोजन के लिए अभियोजक//

5. यह कहना सही है कि जब मैंने उस समय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे तो दस्तावेजों पर कुछ भी नहीं लिखा था। यह कहना सही है कि मेरे हस्ताक्षर खाली दस्तावेजों पर लिए गए थे। यह कहना सही है कि जिन दस्तावेजों पर मेरे हस्ताक्षर किए गए थे, वे मुझे नहीं पढ़े गए थे।

25. विरोध करने वाले स्वतंत्र गवाहों ने न केवल कुछ भी देखने से इनकार किया, बल्कि एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण भी दिया

उनके हस्ताक्षर पीडब्लू-7 द्वारा उल्लिखित दस्तावेजों में कैसे पाए गए। दोनों स्वतंत्र गवाहों के अनुसार वे सिंधी समुदाय के सदस्यों से संबंधित किसी अन्य विवाद के संबंध में पुलिस स्टेशन गए थे। इन 2 गवाहों ने स्थानीय पंचायत के निर्वाचित परामर्शदाता होने का दावा किया और इस दावे को अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा जिरह में चुनौती नहीं दी गई थी।

इसलिए, हाथ में मामला एक नियमित, भाग-दौड़ का मामला नहीं है जिसमें स्वतंत्र गवाहों को जीत लिया जाता है और उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था पंचनाम में उनके हस्ताक्षर के बारे में प्रस्तुत करें।

26. इन दो स्वतंत्र गवाहों का बयान कुछ अन्य तथ्यों के आलोक में भी महत्वपूर्ण है। वे इस प्रकार हैं:

पीडब्लू-7 के अनुसार, उन्हें एक मुखबीर से जानकारी मिली थी

16 बजे: 50 घंटे। 31.05.2014 पर;

पीडब्लू-7 का दावा है कि सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने प्रदर्शनी पी-5 तैयार किया और अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया। इसके बाद पीडब्लू 7 ने 17 पर स्वतंत्र गवाहों को नोटिस भेजे: 10 घंटे। ;

❖ पीडब्लू-7 आगे दावा करता है कि वह 17 साल की उम्र में घटना स्थल पर चला गया था: 10 पुलिस स्टेशन से घंटे और घटना स्थल और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 7 से 8 है।

किमी. ;

❖ पीडब्लू-7 ने कहा कि स्वतंत्र गवाहों के घर सुनील

कुमार मालघानी और फिरुतुराम बनवारे स्थित थे।

पुलिस स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी;

दिलचस्प बात यह है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने पीडब्लू-7 के बयान के पैराग्राफ 24 में दर्ज किया है कि जब पुलिस स्टेशन में स्वतंत्र गवाहों के आने के समय के बारे में पूछा जाता है, तो

गवाह (पीडब्लू-7) चुप रहे।

◆ पीडब्लू-7 (प्रतिपरीक्षा) की गवाही के पैराग्राफ 25 में यह दर्ज किया गया है कि पीडब्लू-7 5-7 में घटना स्थल पर पहुंचा था।

लगभग मिनट। यह इस तथ्य के बावजूद है कि पीडब्लू-7 के अनुसार भी, पुलिस स्टेशन और जगह के बीच की दूरी

घटना लगभग 7 से 8 किलोमीटर की थी। ; और

◆ पीडब्लू-7 ने आगे दावा किया कि उनकी टीम ने घटना स्थल पर 40 मिनट तक इंतजार किया, जिसके बाद आरोपी मौके पर पहुंचे

घटना की।

27. इसलिए, यदि पीडब्लू-7 द्वारा दी गई कहानी पर विश्वास किया जाए, तो (i) उन्हें लगभग 16 बजे जानकारी मिली: 50 घंटे। ; ((ii) उन्होंने औपचारिकताएं पूरी कीं और 17 साल की उम्र में स्वतंत्र गवाहों को नोटिस भेजे: 10 घंटे। ; (iii) उन्होंने 17 साल की उम्र में पुलिस स्टेशन छोड़ दिया: 10 घंटे। , और 5-

7 मिनट में घटना स्थल पर पहुँच गया; और (iv) उसकी टीम ने आरोपी के आने के लिए घटना स्थल पर 40 मिनट तक इंतजार किया।

28. लेकिन उपरोक्त समय-सीमा में, पीडब्लू-7 इस बारे में पूरी तरह से चुप है

वह समय जब गवाह पुलिस स्टेशन या घटना स्थल पर पहुंचे।

29. प्रदर्शनी सी-1 वह नोटिस है जो कथित तौर पर स्वतंत्र को दिया गया है।

गवाह फिरुतुराम बनवारे। यह नोटिस उक्त गवाह को निर्देश देता है कि

मटर

17 बजेः 10 घंटे। उसमें जिस स्थान पर संकेत दिया गया है, "सैदा तिवारी पारा बाय-पास मेन रोड"। पीडब्लू-7 के अनुसार भी गवाह को यह नोटिस केवल 17 बजे भेजा गया थाः 10 घंटे। , 1 कि. मी. पर स्थित गवाह के निवास पर सेवा की जानी है। दूर। इसलिए, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि पीडब्लू-7 घटना स्थल पर 17 बजे गवाह के उपलब्ध होने की उम्मीद कर सकता थाः 10 घंटे।

30. प्रदर्शनी सी-2 यहाँ अपीलार्थी को दी गई सूचना है (ए-1)

अधिनियम की धारा 50 के तहत। इसमें दिखाया गया समय 18 हैः 00 घंटे। इस सूचना में अपीलार्थी को यह इंगित करने की आवश्यकता होती है कि क्या वह मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा। नोटिस में यह भी कहा गया है कि इसकी सामग्री को गवाहों की उपस्थिति में पढ़ा गया था। प्रदर्शनी सी-3 अपीलार्थी की सहमति पंचनामा है जो पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी लेने के लिए सहमत है। यह पंचनामा इसमें सुनील मालघानी और फिरुतुराम बनवारे (सी. डब्ल्यू. 1 और 2) के नाम शामिल हैं। यहां तक कि प्रदर्शनी सी-4 के रूप में चिह्नित अभियुक्त का खोज पंचनामा भी खोज के समय सी. डब्ल्यू. 1 और 2 की उपस्थिति को संदर्भित करता है।

31. इसलिए, यह स्पष्ट है कि आई. ओ. ने पी. डब्ल्यू.-7 दावों के रूप में जांच की

सब कुछ केवल स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया है। लेकिन उन स्वतंत्र गवाहों ने न केवल अपनी उपस्थिति और भागीदारी से इनकार किया, बल्कि यह भी बताया कि उनके हस्ताक्षर उन दस्तावेजों में कैसे पाए गए।

32. ऐसी परिस्थितियों में, एक गंभीर संदेह पैदा हो जाता है

पीडब्लू-7 द्वारा कथित रूप से की गई तलाशी और जब्ती। लेकिन दुर्भाग्य से, विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने मामले के तथ्यों पर समान रूप से लागू किए बिना सिद्धांत रूप में कानून का पालन किया।

33. शुरू से ही सह-अभियुक्त रीना दास (ए-2)

हर स्तर पर शामिल किया गया था। मान लीजिए, पीडब्लू-7 द्वारा 16 बजे प्राप्त जानकारीः 50 घंटे। आई. डी. 1 पर अपीलार्थी के साथ-साथ सह-अभियुक्त रीना दास का संदर्भ था। लेकिन किसी अजीब वजह से,

पीडब्लू-7 ने अधिनियम की धारा 50 के तहत केवल अपीलार्थी को नोटिस देने का फैसला किया, न कि सह-अभियुक्त को। पीडब्लू-7 को भी जानबूझकर या अन्यथा रिकॉर्ड करने के लिए हटा दिया गया, (i) सह-अभियुक्त की सहमति पंचनामा; (ii) संजीत कुमार सिंह @मुन्ना कुमार सिंह बनाम।

सह-अभियुक्त के पंचनामे की खोज करें; और (iii) बरामदगी

सह-अभियुक्त के संबंध में पंचनामा। इसके परिणामस्वरूप विशेष अदालत ने सह-अभियुक्त को बरी कर दिया। यह बहुत अजीब बात है कि (i) पीडब्लू-7 द्वारा प्राप्त जानकारी, (ii) एफ. आई. आर.; और (iii) आरोप-पत्र में सह-अभियुक्त को फंसाया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने विशेष अदालत के इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया कि सह-अभियुक्त से कोई वसूली नहीं हो सकती थी, इस तथ्य के बावजूद कि वह भी उसी कार में यात्रा कर रही थी।

33 - ए. यह सच है कि अधिनियम की धारा 54 एक धारणा उठाती है और आरोपी पर यह समझाने का बोझ पड़ता है कि वह कैसे आया।

निषिद्ध पदार्थ का कब्ज़ा। लेकिन अधिनियम की धारा 54 के तहत धारणा को उठाने के लिए, पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त से वसूली की गई थी। जिस क्षण एक संदेह सबसे बुनियादी पहलू पर डाला जाता है, अर्थात् खोज और जब्ती, अपीलार्थी, हमारे विचार में।

राय भी वही लाभ पाने की हकदार होगी जो विशेष न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त को दिया गया है।

34. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी भी संदेह के लाभ का हकदार है। इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है। विशेष न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निर्णय जहाँ तक अपीलार्थी की दोषसिद्धि से संबंधित हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि वह किसी अन्य मामले के संबंध में हिरासत में न हो। कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे